



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खंड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

94/17
26/2/97

सं० 79]
No. 79]

नई दिल्ली, बुधवार, फरवरी 26, 1997/फाल्गुन 7, 1918
NEW DELHI, WEDNESDAY, FEBRUARY 26, 1997/PHALGUNA 7, 1918

वित्त मंत्रालय

(कंपनी कार्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 फरवरी, 1997

सा० का० नि० 94 (अ).—केन्द्रीय सरकार, कम्पनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 621 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्रालय (कंपनी कार्य विभाग) की अधिसूचना सं० सा० का० नि० 69 (अ), तारीख 15 फरवरी, 1995 को उन बातों के सिवाय अधिक्रान्त करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, उस उपधारा के प्रयोजनों के लिए, उस अधिनियम की धारा 56 की उपधारा (3), धारा 59 की उपधारा (1), धारा 63, धारा 68, धारा 73 की उपधारा (2) और उपधारा (2ख), धारा 113 की उपधारा (2) और धारा 207 के अधीन दण्डनीय अपराधों की बाबत भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 (1992 का 15) के अधीन स्थापित भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड के निम्नलिखित अधिकारियों को प्राधिकृत करती है :—

अधिकारियों के नाम

1. सुश्री प्रार्थना
2. श्री प्रवीण त्रिवेदी
3. श्री आनन्द तातिया
4. श्री सुदीप्त भट्टाचार्य
5. श्री एस० आर० प्रसाद
6. श्री पियूष गुप्ता
7. श्री सोमनाथ भौमिक
8. श्री जे० बी० राम
9. श्री पी० के० बिंदलिश

अधिकारियों के नाम

10. श्री शरद के० शर्मा
11. श्री वी० एस० सुन्दरेशन
12. श्री रवि कुमार
13. श्री मुरलीधर राव
14. श्री जयंत जश

[फा० सं० 3/16/96-सी० एल०-5]

आर० डी० जोशी, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF FINANCE**(Department of Company Affairs)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 26th February, 1997

G. S. R. 94 (E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 621 of the Companies Act, 1956 (1 of 1956) and in supersession of the Ministry of Law, Justice and Company Affairs (Department of Company Affairs) notification number G. S. R. 69 (E) dated the 15th February, 1995, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government hereby authorises the following officers of the Securities and Exchange Board of India established under the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 (15 of 1992) for the purposes of that sub-section in respect of offences punishable under sub-section (3) of section 56, sub-section (1) of section 59, section 63, section 68, sub-sections (2) and (2B) of section 73, sub-section (2) of section 113 and section 207 of that Act :—

Name of the Officers

1. Sushri Prarthana
2. Shri Parveen Trivedi
3. Shri Anand Tatiya
4. Shri Sudipto Bhattacharya
5. Shri S. R. Prasad
6. Shri Piyush Gupta
7. Shri Somnath Bhowmik
8. Shri J. B. Ram
9. Shri P. K. Bindlish
10. Shri Sharad K. Sharma
11. Shri V. S. Sundaresan
12. Shri Ravi Kumar
13. Shri Murlidhar Rao
14. Shri Jayanta Jash

[File No. 3/16/96-CL. V]

R. D. JOSHI, Jt. Secy.